"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2008—पौष 5, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-7/12/2008/1/2.—सुश्री ओमेगा यूनाईस टोप्पो, भा. प्र. से., उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 08-12-2008 से 19-12-2008 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 07, 20 एवं 21 दिसम्बर, 2008 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री टोप्पो, आगामी आदेश तक उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

3. अवकाश काल में सुश्री टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

राजभवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2008

क्रमांक/7819/रास/स्था./2008.— सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-6/2008/एक/2, दिनांक 28-11-2008 द्वारा मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति की तिथि 10-10-2008 से उपसचिव, महामहिम राज्यपाल के संवर्गीय पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष घोषित कर पदस्थ किया गया है.

तदनुसार मेरा पत्राचार का पता निम्नानुसार रहेगा :—

ब्रजेश चन्द्र मिश्र
भा. प्र. से.
उपसचिव, महामहिम राज्यपाल
राजभवन, रायपुर.
दूरभाष क्रमांक (कार्यालय) 2331104
(निवास) 2331511

ब्रजेश चन्द्र मिश्र
राज्यपाल के उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2008

संशोधन आदेश

फा. क्र./11300/3 (बी)/38/2008/21-ब.—इस विभाग के आदेश क्र. 11251-11252/3 (बी)/35/2008/21-ब/(मैरिट क्रमांक 35) दिनांक 08-12-2008 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त आदेश में "मैरिट क्रमांक 35" के स्थान पर "मैरिट क्रमांक 38" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसंम्बर 2008

क्रमांक 1008/13-2/ऊर्जा/2008.—श्री राजीव रंजन, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 को अपने पद से स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया गया है, जिसे शासन ने दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 के पूर्वान्ह से स्वीकृत कर लिया है. फलस्वरूप राज्य शासन श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अन्य आदेश तक अपनी मूल पदस्थापना के साथ अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल भी नियुक्त करता है.

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ 8-2/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन. टी. पी. सी., कोरबा के बॉयलर क्र.-एम. पी./3569 को दिनांक 01-11-2008 से 30-11-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बॉयलर क्र.-एम. पी./3657 को दिनांक 11-11-2008 से 10-12-2008 तक

निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 6 दिसम्बर 2008

क्रमांक 2335/अ. वि. अ./भू-अर्जन/अ-82/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	माखनपुर	0.310	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कोरबा.	धौराभाठा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 6 दिसम्बर 2008

क्रमांक 2337/अ. वि. अ./भू-अर्जन/अ-82/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	सेन्दरी पाली	11.587	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कोरबा.	धौराभाठा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 6 दिसम्बर 2008

क्रमांक 2329/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-माखनपुर, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.506 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
458/1	0.061
458/2	0.202
459	0.332
462/1	0.255
462/2	0.405
462/3	0.251
योग	1.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौराभांठा जलाशय के बंड शीट लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 6 दिसम्बर 2008

क्रमांक 2331/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-कुटेला मुडा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.585 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
290/2	0.029
292/2	0.053
293	0.024
302	0.032
303, 304/1	0.036
305	0.125
308	0.036
312	0.097
313	0.057
316/1	0.048
316/2	0.048
योग	0.585

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चैतमा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 6 दिसम्बर 2008

क्रमांक 2333/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-साजाबहरी, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.665 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
01	0.008
52	0.032
53	0.073
88/2	0.061
88/3	0.040
88/4	0.053
118/1	0.040
118/4	0.020
119/1	0.040
119/2	0.040
120/1	0.012
120/2	0.012
122	0.032
134, 135	0.032
136	0.024
137, 138, 152	0.146
योग	0.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चैतमा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 6 दिसम्बर 2008

क्रमांक 2339/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.700 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
03	0.109
04	0.048
20	0.008
21	0.008
26	0.324
27	0.056
29	0.016
30/1	0.097
30/2	0.093
37	0.012
92	0.478
94	0.134
95	0.008
100	0.040
101	0.052
102	0.008
117	0.056
118	0.032
119	0.065
238/1	0.028
238/2	0.028
योग	1.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवापारा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 6 दिसम्बर 2008

क्रमांक क/2341/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित कृषि अधिनियम सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंड़ी उपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-लेपरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	69/27	0.40
योग	01	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 6 दिसम्बर 2008

क्रमांक 2343/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.573 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
513	0.101
582	0.097
514	0.352
515	0.437
577	0.142
516	0.336
578	0.243
517/1	0.182
517/2	0.182
576/1	0.332
576/2	0.174
573/3	0.202
579	0.146
580	0.146
581	0.178
583/1	0.202
583/2	0.081
585	0.040
योग	3.573

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मानिकपुर जलाशय के बंड शीटलाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2008

क्र. एफ-23/रानिआ/न. पा./मत. सूची/08/1959.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम 4, 5 एवं 6 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिका उप निर्वाचन हेतु नगर पालिक निगम, बिलासपुर में जहां महापौर का पद रिक्त है वहां उप निर्वाचन होना है. उप चुनाव (उत्तरार्द्ध) के लिए संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची तैयार करने के लिए निम्नांकित कार्यक्रम (समय अनुसूची) निर्धारित करता है :—

मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम

क्र.	कार्यवाही विवरण	निर्धारित तारीख
(1)	(2)	(3)
	प्रथम चरण	
1.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति	17-12-2008 (बुधवार)
2.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन	19-12-2008 (शुक्रवार)
3.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करना	22-12-2008 (सोमवार) 24-12-2008 (बुधवार)

(1)	(2)	(3)
4.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का एक सेट जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के कार्यालय में जमा कराया जाना.	26-12-2008 (शुक्रवार)
5.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का मुद्रण	27-12-2008 (शनिवार)
	द्वितीय चरण	
1.	मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में प्रचार-प्रसार प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, सांसदों/विधानसभा सदस्यों/पार्षदों को सूचना भेजना तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप सूची उपलब्ध कराना.	29-12-2008 (सोमवार)
2.	प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियों प्राप्त करने की कार्य की शुरुवात.	1-1-2009 (गुरुवार)
3.	दावे तथा आपत्तियां प्राप्ति की अंतिम तारीख	9-1-2009 (शुक्रवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
4.	प्राप्त दावों तथा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख	12-1-2009 (सोमवार)
5.	वार्डवार अनुपूरक सूचियां तैयार करना	17-1-2009 (शनिवार)
6.	अनुपूरक सूचियों का मुद्रण	20-1-2009 (मंगलवार)
7.	अनुपूरक सूचियां, मूल (प्रारंभिक) सूचियों के साथ जोड़ा जाना	21-1-2009 (बुधवार)
8.	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	22-1-2009 (गुरुवार)

हस्ता./-

(ओंकार सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

क्रमांक 9689/तीन-10-8/2000 (V).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक 447/तीन-10-8/2000 (V) दिनांक 14 जनवरी, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये,

विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक-फा. 01-1/2003/11206/21-ब/छ. ग./08, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय 12 जनवरी, 2009 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
				2. नारायणपुर	1	2. कोण्डागांव	1
						3. नारायणपुर	1
						4. केशकाल	1
2.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	7	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1
						4. बिल्हा	1
						5. कोटा	1
						6. लोरमी	1
						7. मरवाही	1
						8. तखतपुर	1
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	1	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1
4.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
						2. कुरूद	1
						3. नगरी	1
5.	दुर्ग	1. दुर्ग	6	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
		2. बालौद	1	2. बालौद	1	2. बालौद	2
		3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	2
						4. गुण्डरदेही	1
						5. पाटन	1
						6. साजा	1
						7. डौण्डीलोहारा	1
						8. दल्लीराजहरा	1
6.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	1	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	1	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
						3. डभरा	1
						4. चांपा	1
						5. पामगढ़	1
						6. जैजैपुर	1
						7. नवागढ़	1
						8. मालखरौदा	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
						2. पत्थलगांव	1
						3. कुनकुरी	1
						4. बगीचा	1
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	—	—	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
9.	कोरबा	1. कटघोरा	1	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
				2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
10.	कोरिया (बैकुंठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुंठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
						3. चिरमिरी	1
						4. जनकपुर	1
11.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
						2. सरायपाली	1
						3. पिथौरा	1
12.	रायगढ़	1. रायगढ़	1	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1			2. धर्मजयगढ़	1
						3. घरघोड़ा	1
						4. सारंगढ़	1
						5. खरसिया	1
13.	रायपुर	1. रायपुर	8	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. बलौदा बाजार	2	2. बलौदा बाजार	1	2. बलौदा बाजार	1
		3. भाटापारा	1	3. गरियाबंद	1	3. गरियाबंद	1
		4. गरियाबंद	1			4. भाटापारा	1
						5. राजिम	1
						6. सिमगा	1
						7. बिलाईगढ़	1
						8. कसडोल	1
						9. तिल्दा	1
						10. देवभोग	1
						11. भटगांव	1
14.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3 खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अंबिकापुर	2	1. अंबिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. सूरजपुर	1	2. रामानुजगंज	1	2. प्रतापपुर	1
				3. सूरजपुर	1	3. सूरजपुर	2
						4. वाड्रफनगर	1
						5. सीतापुर	1
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
						2. भानुप्रतापपुर	1
						3. पखांजुर	1

Bilaspur, the 8th December 2008

No. 9689/III-10-8/2000 (V).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 447/III-10-8/2000 Part-V, Dated 14th January, 2008, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. F.-1-1/2003/11206/21-B/08 dated 5th December, 2008 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the 12th January, 2009 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
				2. Narayanpur	1	2. Kondagaon	1
						3. Narayanpur	1
						4. Keshkal	1
2.	Bilaspur	1. Bilaspur	7	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Mungeli	1	2. Mungeli	1	2. Mungeli	1
		3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1
						4. Bilha	1
						5. Kota	1
						6. Lormi	1
						7. Marwahi	1
						8. Takhatpur	1
3.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	1	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	1	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
4.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
						2. Kurud	1
						3. Nagri	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Durg	1. Durg	6	1. Durg	3	1. Durg	12
		2. Balod	1	2. Balod	1	2. Balod	2
		3. Bemetara	1	3. Bemetara	1	3. Bemetara	2
						4. Gundardehi	1
						5. Patan	1
						6. Saja	1
						7. Dondilohara	1
						8. Dallirajhara	1
6.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	1	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	1	2. Sakti	1	2. Sakti	1
						3. Dabhra	1
						4. Champa	1
						5. Pamgarh	1
						6. Jaijaipur	1
						7. Navagarh	1
						8. Malkharoda	1
7.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
						2. Patthalgaon	1
						3. Kunkuri	1
						4. Bagicha	1
8.	Kabeerdham (Kawardha)	—	—	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
9.	Korba	1. Katghora	1	1. Korba	2	1. Korba	1
				2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
10.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
						3. Chirmiri	1
						4. Janakpur	1
11.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
						2. Saraipali	1
						3. Pithoura	1
12.	Raigarh	1. Raigarh	1	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1			2. Dharamjaigarh	1
						3. Gharghora	1
						4. Sarangarh	1
						5. Kharsiya	1
13.	Raipur	1. Raipur	8	1. Raipur	6	1. Raipur	16
		2. Balodabazar	2	2. Balodabazar	1	2. Balodabazar	1
		3. Bhatapara	1	3. Gariyaband	1	3. Bhatapara	1
		4. Gariyaband	1			4. Gariyaband	1
						5. Rajim	1
						6. Simga	1
						7. Bilaigarh	1
						8. Kasdol	1
						9. Tilda	1
						10. Devbhog	1
						11. Bhatgaon	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-Chowki	1	2. Dongargarh	1
				3. Dongargarh	1	3. Khairagarh	1
				4. Khairagarh	1	4. Chhuikhadan	1
15.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	5
		2. Surajpur	1	2. Ramanujganj	1	2. Pratappur	1
				3. Surajpur	1	3. Surajpur	2
						4. Wadraf Nagar	1
						5. Sitapur	1
16.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker	1
						2. Bhanupratappur	1
						3. Pakhanjur	1

By order of the High Court.
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.